

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2013—माघ 24, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. एफ ए-6ए-12-2013-1-पांच (04).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) एवं धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन लंबित या उद्भूत होने वाले अपील प्रकरणों को निपटाने की शक्तियां प्रदान करती है. यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होगा:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अपर आयुक्त का नाम तथा वर्तमान पद (2)	क्षेत्र (3)
1	श्री ए. के. मिश्रा, अपर आयुक्त, मुख्यालय, इन्दौर	इन्दौर जोन-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. एफ ए-6ए-12-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-6ए-12-2013-1-पांच (04), दिनांक 13 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th February 2013

No. F-A-6A-12-2013-1-V-(04).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints Additional Commissioner, Commercial Tax, mentioned in column (2) of the Table below as Appellate Authority for the area specified in column (3) and confers the powers to dispose of the appeal cases pending or arising under section 46 of the said Act. This responsibility shall be in addition to his present responsibilities:—

TABLE

S. No.	Name and present post of Additional Commissioner	Area
(1)	(2)	(3)
1.	Shri A. K. Mishra, Additional Commissioner, Head Quarter, Indore.	Indore Zone-1

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.